

प्रतिवेदन

कार्य का नाम :— जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मनालधुरा से नाननकोट मोटर मार्ग को जोड़ने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लम्बाई :— 3.00 किमी०।

जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मनालधुरा से नाननकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 1760/पी०3-14/यू०आर०आर०डी०ए०/०9 दिनांक 14.12.2009 द्वारा 3.00 किमी० लम्बाई हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके क्रम में उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कराया जाना है।

यह मार्ग कवरैला-डभरा मोटर मार्ग के किमी० 6 से प्रारम्भ होकर नाननकोटा तक जाता है। यह मार्ग पूर्ण लम्बाई में वन पंचायत एवं सिविल भूमि से होकर गुजरता है।

इस मार्ग के निर्माण से ग्राम सभा नाननकोटा (289) की जनसंख्या लाभान्वित होगी।

इस मार्ग के निर्माण हेतु 9.00 मी० चौड़ाई तथा 3.00 किमी० लम्बाई में वन पंचायत एवं सिविल भूमि भूमि आती है।

मार्ग निर्माण 7.00 मी० की चौड़ाई में किया जायेगा, चूँकि समस्त ग्रामवासियों के साथ विचार-विमर्श कर एवं पेड़ों की संख्या न्यूनतम रखते हुए क्षेत्र की जनता को अधिकतम लाभ देते हुए एवं क्षेत्रवासियों की लगभग मॉगानुसार यह समरेखन तैयार किया गया है। जिस पर पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान एवं क्षेत्रवासियों को कोई आपत्ति न होने के कारण इस संरेखन से अच्छा कोई विकल्प नहीं होने के कारण संरेखन पर सहमति बनी है। चूँकि मार्ग पहाड़ी उबड़-खाबड़ स्थलों से गुजरता है एवं बिना वन भूमि को उपयोग में लाये बिना मार्ग को केवल अन्य भूमि से निर्मित कर ले जाना प्राकृतिक अनुसार सम्भव नहीं है।

अतः प्रस्ताव पुनः प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।


(आर०पी० पाण्डेय)
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि० सल्ट

(चन्द्रपाल सिंह)
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि० सल्ट